२१२/०१२ बनाम उर्मि (प)

मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
6/09/24	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी 1 ता 3 की और से भागवंत सिंह आसावत द्वारा वकालतनाम व जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध मे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु सम्परिवर्तन) नियम 2007 के अर्न्तगत सम्परिवर्तन आदेश जारी किये जा चुका है, पत्रावली के अवलोकनार्थ प्रकट होता है कि प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक–21/07/2023 को सम्परिवर्तन पत्रावलियों में संलग्न पटवारी हलका रिपोट व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर Certificate Ref-No-:LC/2023-24/162086 दिनांक–21/07/2023 बहक अप्रार्थीगण द्वारा जारी कर अप्रार्थीगण के पक्ष में उपरोक्तानुसार प्रारूप–बी में सम्परिवर्तन आदेश जारी किये हुऐ है। पत्रावली में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहरा गया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया कि प्रार्थी की उक्त कार्यवाही का अप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजी का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु सम्परिवर्तन) नियम 2007 के अर्न्तगत प्रा0 पत्र पेश किया गया जिस पर संक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत कार्यवाही करते हुए संपरिवर्तन आदेश Certificate Ref-No-:LC/2023-24/162086 दिनांक–21/07/2023 जारी किया गया इस कारण प्रार्थी द्वारा की गई उक्त कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। उक्त कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे। हमने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों पटवारी रिपोर्ट तथा अप्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन व मनन किया जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार विधिवत समपरिवर्तन की कार्यवाही संक्षम प्राधिकारी के समक्ष की गई जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित आदेशानुसार संपरिवर्तन किया गया जिसका आदेश अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कोई औचित्य नहीं रह जाता तथा प्रार्थी का प्रा0 पत्र अस्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता ह। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो । उक्त निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.09.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया A	